मध्य प्रदेश शासन

आनंद विभाग

मंत्रालय

--

क्रमांक 01 /आनंद/2017 भोपाल, दिनांक 09/01/2017

प्रति,

समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर,

मध्य प्रदेश ।

विषय:-"नेकी की दीवार" की परिकल्पना का क्रियान्वयन।

संदर्भ:-इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक-51/आनंद, दिनांक 30.12.2016

कृपया इस विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क वस्तुएं उपलब्ध कराने की स्वयं सेवी व्यवस्था को विभिन्न जिलों में विभिन्न नामों के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि अब इस व्यवस्था को "आनंदम" नाम दिया जाए। आपके जिले में कृपया तद्नुसार इस व्यवस्था के लिये जो स्थल चयन होता है उस पर निम्नानुसार डिस्प्ले बड़े अक्षरों में किया जाए :-

" आनंदम "

जो आपके पास अधिक है यहां छोड़ जाए, जो आपकी जरूरत का है यहां से ले जाए

2/ राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि दिनांक 14 जनवरी, 2017 को प्रात: 11.30 बजे जिला मुख्यालयों पर जहां ''आनंदम'' की व्यवस्था की गई है, वहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जिलों को उस समय एक साथ सम्बोधित करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आप उक्त स्थल पर ऐसी व्यवस्था करें जिससे माननीय मुख्यमत्री जी के उदबोधन को सुविधा से सुना और देखा जा सके और साथ ही आपके द्वारा की गई व्यवस्था को लाईव देखा जा सके। जनसम्पर्क विभाग को इस व्यवस्था के लिये पृथक से निर्देश दिये गये हैं।

3/ जैसा कि पूर्व में निर्देशित किया गया था इस व्यवस्था के सफल संचालन के लिये जनप्रतिनिधि, स्वयं सेवी एवं आनंदकों की सक्रिय भागीदारी की जाए ताकि यह जनता का कार्यक्रम बने।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, आनंद विभाग

पृ.क्रं. /आनंद/2017 भोपाल, दिनांक /01/2017

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क, मंत्रालय, भोपाल

अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, आनंद विभाग